

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 21/09/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 20.09.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 151/2024 धारा 309(4),115(2) ,351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2), 317(5) B.N.S. व 3/25 ए.एक्ट 03 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.09.2024 को उ0नि0 शहीर सिद्धीकी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबीरी सूचना पर उच्चाडीह चौराहे से अभियुक्तगण 1. नितेश राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासी ग्राम उच्चाडीह थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर 2. निकेतन बाबू पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम जैन मुहल्ला जसवन्त नगर थाना जसवन्त नगर जिला ईटावा 3. आकाश कुमार धुरिया पुत्र सूरज कुमार धुरिया निवासी ग्राम मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के पास से लूट/छिनैती का 1210/- रुपये व एक अदद मोबाईल MI A2 तथा जामा तलाशी से एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 151/2024 धारा 309(4),115(2) ,351(3) में धारा 317(2), 317(5) B.N.S. व 3/25 ए.एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नितेश राजभर पुत्र जयराम राजभर निवासी ग्राम उच्चाडीह थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष
- 2.निकेतन बाबू पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम जैन मुहल्ला जसवन्त नगर थाना जसवन्त नगर जिला ईटावा उम्र 25 वर्ष
- 3.आकाश कुमार धुरिया पुत्र सूरज कुमार धुरिया निवासी ग्राम मौदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. 1210/-रुपये व एक अदद मोबाईल MI A2 लूट/छिनैती का व एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद दो पहिया वाहन अन्तर्गत धारा 207 MV Act

गिरफ्तारी का दिनांक व समय – 20.09.2024 समय 03.25 बजे

गिरफ्तारी का स्थान – उच्चाडीह चौराहा अन्तर्गत थाना करी0पुर से

02. थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 08 जनपद गाजीपुर द्वारा जारी वारण्ट मु0नं0 6655/24 राज्य प्रति सुएब अंसारी थाना करण्डा अन्तर्गत धारा 419,420,504,506,379 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी मोहिउद्दीन उर्फ मैरुद्दीन पुत्र एजाज अंसारी निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दिनांक 19.09.2024 उसके घर से समय करीब 22.05 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

मोहिउद्दीन उर्फ मैरुद्दीन पुत्र एजाज अंसारी निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION *CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 20.09.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-304/2016 धारा 363/366 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 1. सोनू सिंह पुत्र राम नारायन सिंह निवासी वसिला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

04. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.9.2024 को सुबह करीब 12.15 वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तो व गैर जमानती वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0नं0 2643/04 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारंटी राजेन्द्र चौहन पुत्र तेरस चौहान निवासी ग्राम जमसड़ा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र 48 वर्ष को जो काफी दिन से फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1 .राजेन्द्र चौहन पुत्र तेरस चौहान नि0 जमसड़ा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर